

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

पत्रांक:- 22 सीएसी/2009- 294सीएसी/90

दिनांक 06 जनवरी,2010

1-समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,	3-समस्त सम्परीक्षा अधिकारी,
2-समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त),	4-समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो),
	उ0प्र0 परिवहन निगम ।

विषय:- उ0प्र0 परिवहन निगम में प्रभावी यात्री पास योजना में आंशिक संशोधन।

उ0प्र0 परिवहन निगम में प्रभावी यात्री पास योजना पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण बस सेवाओं में लागू यात्री पास योजना के अर्न्तगत साधारण बस सेवा की किराया-दर (60 पैसे प्रतिसीट प्रतिकिमी0) के आधार पर 30 सिगिल ट्रिप का किराया एवं यात्री सुविधा अधिभार व यात्री दुर्घटना अधिभार पूर्व की भाँति चार्ज कर तत्काल प्रभाव से "पास" निर्गत किये जायेंगे। पास योजना की अन्य शर्तें व नियम पूर्ववत् रहेंगे।

2- परिपत्र संख्या-2221(1)सीएसी/09-यू0ओ0 43सीएसी/2000 दिनांक 15.10.2009 के अर्न्तगत बिन्दु संख्या-4 के अनुसार नगरीय सेवाओं, जिसमें जे0एन0एन0 यू0आर0एम0 की गैर वातानुकूलित नगरीय बसे भी शामिल है, में पास व्यवस्था हेतु निर्धारित दरे यथावत् रहेंगी।

कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल प्रभाव से कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

ह0
(पी0के0 श्रीवास्तव)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचा0)

पत्रांक- समसंख्यक एवं समदिनांकित ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- वित्त नियंत्रक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ ।
- 2- परिवहन निगम मुख्यालय के समस्त अधिकारी(अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक एवं अपर प्रबन्ध निदेशक, मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन) को छोड़कर)।
- 3- निजी सचिव- अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, अपर प्रबन्ध निदेशक, मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन) उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय।
- 4- जनसम्पर्क अधिकारी/प्रभारी-कम्प्यूटर कक्ष, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

ह0
(पी0के0 श्रीवास्तव)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचा0)